

फर्द अहकाम
 ओपी बनाम राधचन्द

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर

केस संख्या 36/2021 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/4/21	वास्ते वरस ज.पा. वी. भाई. जिनाके 08/05/21 को मूलवाद के साथ फैसला किया। <small>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</small>
	08/5/21	पगावली पेशा डब अधिवक्तागण उम्मेदवार उपस्थित। गलत कानूनी प्रमाणों पर चलकर फैसला नही करते हुए अधिवक्ता पार्थी (पटिवारी) द्वारा वरस ज.पा. वी. भाई. एन पुनः कवायद मांगा गया है। समीचन व पर्याप्त कवायद दिए जा चुके हैं। वरस समक (पुनः) नही की गयी है। को: पगावली वास्ते उचित भीगत कानून फिनांक 20/5/21 को पेशा है। <small>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</small>
	20/5/21	पगावली पेशा डब अधिवक्तागण उम्मेदवार उपस्थित। पगावली वास्ते उचित भीगत कानून ज.पा. वी. भाई. द्वारा गवायद फिनांक 20/5/21 को पेशा है। <small>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</small>
	23/5/21	पगावली पेशा डब अधिवक्तागण उम्मेदवार उपस्थित। पार्थी (पटिवारी) की वरस ज.पा. वी. भाई. एन लुगा गरी) कपासी (वारी) की कोर्ट के ज.पा. वी. भाई. के समक में पुनः कवायद मांगा गया है। वरस प्रस्तुत नही की गयी है। इस हेतु मिलावट कवायद किए जाते हैं। <small>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</small>

फर्द अहकाम
 ओपी बनाम राधचन्द व रूप

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर
 मुख्यालय-जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	36/2021	ओपी बनाम राधचन्द व रूप	
		ओपी की वरस लुगा गरी व पगावली का कवलोकन किया गया। मूलवाद विभाजन के तदनुसार प्रस्तुत किया गया है जो लायक परिवारी के लिए है। प्रतिकारिता को कानून से बेतक कवायद प्रस्तुत किया गया है। को: मुक्ति मुलवाद विभाजन कागदों के अन्तर्गत कोर्ट के प्रस्तुत किया गया है जो कि विभाजन की इतिहास कवायद पर लंबित है। को: वायद कइलता व आपत्ति के दृष्टिकोण मूक्तिवाद प्रस्तुत को दुरुस्त रखा जाना न्यायोचित समझते हैं। को: उम्मेदवारों को मूलवाद के मिलावट लुगा गरी के अन्तर्गत विवेधानुसार पावके किया जा रहा है कि वे वास्ते जगत चंदवापी तह. भांगे जिला जयपुर स्थित वायद बच्चों की भा. व. नं. 45 ता 48, 55 ता 57 कुल 2 वक्ता किला 07 कुल 2 वक्ता 1.08 ई. की गाँव के रिकार्ड की अस्थास्थिति बनाए रखें। तदनन्तर पूर्व अंतिम कवायद विषय में कोर्ट फिनांक 02.08.21 को, उम्मेदवारों को पावके करते हुए लुगा गरी मूलवाद स्थायक किया जा रहा है। निर्णय आज्ञा फिनांक को खुले मनापाल के सुनाया गया। पगावली के कानून को दुरुस्त रजिस्ट्रार को पेशा है। वायद लुगा गरी मिलावट प्रस्तुत है।	